

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग/नर्स-1/से.नि./वि.विध-IV/2019/181

दिनांक:- 12.04.2019

-:आदेश:-

निम्नलिखित कार्मिकों जिनके द्वारा राज्य सेवा में 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से मध्याह्न पश्चात् राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क. सं.	कर्मचारी का नाम (श्री/श्रीमती/सुश्री)	पद	पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1.	श्रवण कुमार नाई	नर्स प्रथम	सीकर	25.04.1959	30.04.2019
2.	रोजलीन जॉयल	नर्स प्रथम	बूंदी	02.04.1959	30.04.2019
3.	परमानन्द वर्मा	नर्स प्रथम	झालावाड़	01.06.1959	31.05.2019
4.	बद्री लाल नागर	नर्स प्रथम	बारां	16.06.1959	30.06.2019
5.	औसाफ अली खान	नर्स प्रथम	बारां	01.07.1959	30.06.2019
6.	छगन सिंह केलवा	नर्स प्रथम	झालावाड़	20.06.1959	30.06.2019
7.	नाथूलाल	नर्स प्रथम	बारां	06.07.1959	31.07.2019
8.	सरोज बालमिकी	नर्स प्रथम	श्रीगंगानगर	02.07.1959	31.07.2019
9.	इन्द्राज भाकर	नर्स प्रथम	श्रीगंगानगर	01.09.1959	31.08.2019
10.	लालचन्द साहू	नर्स प्रथम	टोंक	08.09.1959	30.09.2019
11.	कन्हैयालाल गर्ग	नर्स प्रथम	चित्तौड़गढ़	05.09.1959	30.09.2019
12.	प्रदीप कुमार माथुर	नर्स प्रथम	सीकर	22.09.1959	30.09.2019
13.	बेनी प्रसाद रजक	नर्स प्रथम	बारां	04.10.1959	31.10.2019
14.	चन्द्र पाल सिंह राठौड़	नर्स प्रथम	पाली	15.10.1959	31.10.2019
15.	नल्ही लाल	नर्स प्रथम	धौलपुर	08.12.1959	31.12.2019
16.	लक्ष्मीलाल वीरवाल	नर्सिंग अधीक्षक	उदयपुर	19.12.1959	31.12.2019
17.	बजरंग लाल मीणा	नर्सिंग अधीक्षक द्वितीय	सीकर	01.01.1960	31.12.2019
18.	लोकेश नाथ पुरोहित	नर्स प्रथम	उदयपुर	01.01.1960	31.12.2019
19.	सम्पत राज चौहान	नर्स प्रथम	जोधपुर	22.01.1960	31.01.2020
20.	नारायण लाल पिपेश	नर्स प्रथम	धौलपुर	15.01.1960	31.01.2020
21.	जीवन कटारा	नर्सिंग अधीक्षक	उदयपुर	10.02.1960	29.02.2020
22.	ओम प्रकाश शर्मा	नर्स प्रथम	दौसा	08.02.1960	29.02.2020
23.	शंकरलाल जीनगर	नर्सिंग अधीक्षक	उदयपुर	04.05.1960	31.05.2020

यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नर्सिंग कार्मिकों के विरुद्ध आज दिनांक तक:-

1. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लंबित नहीं है।

(मुकुल शर्मा)


अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग/नर्स-1/से.नि./विविध- /2019/ 181

दिनांक- 12.04.2019

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन।
3. संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक चिकित्सा महाविद्यालय।
4. निदेशक, (क.रा.बी. योजना), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर।
5. संबंधित अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह।
6. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
7. संबंधित जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी।
8. संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
9. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
10. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासकीय अधिकारी।
- ✓ 11. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करे।
12. आदेश/निजी पत्रावली।

  
(मुकुल शर्मा)  
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर